राजस्थान सरकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री हेताराम चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 141/2009

वादी

शंकर चौधरी पुत्र श्री भैराराम जाति जाट निवासी धनारी खुर्द तहसील बावडी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुखाराम पुत्र स्व. श्री स्वरूपराम जाति जाट निवासी धनारी खुर्द तहसील बवडी जिला जोधपुर।
2. पप्पूराम पुत्र स्व. श्री स्वरूपराम जाति जाट निवासी धनारी खुर्द तहसील बवडी जिला जोधपुर।
3. नैनाराम पुत्र स्व. श्री स्वरूपराम जाति जाट निवासी धनारी खुर्द तहसील बवडी जिला जोधपुर।
4. श्रीमती कानी पत्नी स्व. श्री स्वरूपराम जाति जाट निवासी धनारी खुर्द तहसील बवडी जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बवडी (वर्तमान बावड़ी), जिला जोधपुर।

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :

1. वादी की ओर से श्री रामेश्वर हेड़ाऊ, एडवोकेट ।

2– प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामप्रकाश चौधरी, एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 27-08-2019

1. वाद वादी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी शंकर चौधरी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अभिकथन किया कि, वादी की खातेदारी भूमि ग्राम धनारी खुर्द तहसील बवडी जिला जोधपुर (राजस्थान) में खसरा नम्बर 42 में रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा आई हुई है। उक्त खसरा की भूमि बरवक्त बन्दोबस्त सरकारी खाते में बारानी गैर मुमकिन इन्द्राज थी। उक्त भूमि पर बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) पूर्व एकमात्र कब्जा काश्त वादी के पिता का होने से 8 बीघा भूमि की खातेदारी दी गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या–8 भरा गया। तत्पश्चात् वादी के कब्जा में 38 बीघा 07 बिस्वा भूमि शेष रही जिसका बाद में वर्ष 1977 में वादी के पिता के नाम नियमन किया गया। उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 146 वादी के पिता भैराराम के नाम भरा गया। इस प्रकार खसरा संख्या 42 का कुल रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादी के पिता के नाम इन्द्राज रही और वादी के पिता का सम्पूर्ण रकबे पर एकमात्र कब्जा काश्त रहा।

वादी के पिता ने उपर्युक्त वर्णित भूमि में से 8 बीघा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 31.01.1972 को श्रीमती केशरदेवी पुत्री श्री मोतीराम जाट को कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 60 भरा गया। श्रीमती केशरदेवी ने उक्त खरीदसुदा भूमि का वसीयतनामा सहदेव को कर दिया। श्रीमती केशर देवी पुत्री श्री मोतीराम का देहावसान हो गया तथा बाद में वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती केशर देवी की भूमि खसरा संख्या 42/1 रकबा 8 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 426 सहदेवराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वादी ने अपने पिता से अचल सम्पति के बंटवाड़े के लिए दीवानी वाद जिला न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत किया जो दीवानी मूलवाद संख्या 57/06 दिनांक 18.04.2007 को राजीनामा के जरिय डिक्री किया गया। उक्त राजीनामा के तहत वादी को ग्राम धनारी खुर्द में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 42/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 42/1 रकबा 8 बीघा, कुल 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी के खाते में रखी गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 651 व 652 के जरिये इन्द्राज हो गई। उक्त रकबे पर वादी की पत्थरों के फाचरों की दीवार बनाई हुई है।

वादी द्वारा वाद में आगे अंकित किया गया कि हाल ही में वादी दिनांक 03.09.2009 को पटवारी हल्का के पास गया और अपनी खातेदारी के रेकर्ड के बारे में जानकारी ले रहा था तब पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा नम्बर 42 जिसका कि रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा है उस खसरे वाली भूमि में से 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या–1 से 4 सुखाराम, पप्पूराम, नैनाराम पुत्र स्व. स्वरूपराम, श्रीमती कानी पत्नी स्व. स्वरूपराम जाति जाट निवासी धनारी खुर्द के नाम का है। वादी को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। इस पर वादी ने पटवारी हल्का से निवेदन किया कि खसरा नम्बर–42 का पूर्ण रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा उसके कब्जे में है जो सैटलमेन्ट के समय से पूर्व से चला आ रहा है। इस सम्पूर्ण रकबे की पूर्ण खातेदारी उसके नाम है तथा मौके पर कब्जा भी सैटलमेन्ट पूर्व से आज तक बेरोक–टोक चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में कहीं भूल से प्रतिवादी संख्या–1 से 4 का नाम इन्द्राज हो गया है सो आप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती कर देवे, क्योंकि वादी के पास खसरा नम्बर–42 का सम्पूर्ण रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि है और प्रतिवादी के नाम वाली 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो कि न तो मौके पर है, न ही प्रतिवादी का कहीं कब्जा है। खसरा संख्या 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि का सैटलमेन्ट रेकर्ड में इन्द्राज है और राजस्व नक्शा भी 46 बीघा 7 बिस्वा का बना हुआ है। इस रकबे में 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि तथाकथित प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम से किस प्रकार समायोजित हो सकती है। क्योंकि न तो मौके पर जमीन है, न ही राजस्व नक्शा यह दर्शाता है और न ही प्रतिवादी संख्या–1 से 4 का कब्जा काश्त है। वादी के सभी निवेदन को सुनकर पटवारी हल्का ने सभी बातों को स्वीकार किया, परंतु राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को मजबूरन यह वाद पेश करना पड़ रहा है। अन्त में वादी द्वारा अपने वाद में प्रार्थना की गयी कि डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम इन्द्राज खसरा नम्बर 42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज प्रविष्टि को निरस्त घोषित किया जाये एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाये, साथ ही इस आशय की डिकी चाही कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 42/1 रकबा 8

बीघा तथा खसरा नम्बर 42/2 में 38 बीघा 7 बिस्वा, कुल 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करवावे, खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

2. वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जबाब दावा पेश कर वाद के अधिकांश तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए सारभूत रूप से अभिकथन किये गये कि, वादी व वादी के पूर्वजों का कभी भी मूल खसरा नम्बर 42 के पूरे रकबे पर सैटलमेन्ट के पूर्व से लेकर आज तक किसी भी हैसियत से कब्जा काश्त नहीं रहा है इसे वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। आगे अंकित किया कि वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है वादी ने प्रतिवादी संख्या पांच को पक्षकार बनाने से पूर्व 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया है, वादपत्र पेश करते समय न्यायालय हाजा से वाद पेश करने की स्वीकृति नहीं ली गयी है इसलिए नोटिस व स्वीकृति के अभाव में वाद चल नहीं सकता है, वादी द्वारा कोर्ट फीस कम अदा की गयी है।

प्रतिवादीगण ने आगे काउन्टर क्लेम एवं विशेष एतराज अंकित कर अभिकथन किये कि राजस्व ग्राम धनारी खुर्द के खसरा नम्बर 42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या एक से चार के कब्जा काश्त की आई हुई है, खेत खसरा नम्बर 42 पूर्व में गैर मुमकिन मगरा दर्ज था लेकिन वक्त सेटलमेन्ट से प्रतिवादी संख्या–एक से तीन के दादा व प्रतिवादी संख्या चार के दादी ससुर श्री जगराम पुत्र पोकरराम का भौतिक रूप से कब्जा काश्त था उक्त खेत की खातेदारी स्व. जगराम जी को दिनांक 24.10.1977 को मिसल नम्बर 787/77 के अनुसार नियमन कर खातेदारी प्रदान की गयी थी जबकि कब्जा तो नियमन से ही पूर्व था। उक्त नियमन सम्बंधी नामान्तरकरण संख्या 138 भरा गया है। प्रतिवादी संख्या एक से तीन के दादा व प्रतिवादी संख्या चार के दादी ससुर का वर्ष 1990 में स्वर्गवास हो गया तो स्वर्गीय जगराम जी के विधिक वारिसानों के नाम फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 303 भरा जाकर स्वीकृत किया गया उसके बाद स्वर्गीय जगराम जी के पुत्रों के बीच बंटवाड़ा हुआ जिसके तहत खेत खसरा नम्बर 42 प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के पिता–पति के बंट व हिस्सा में रख गया, प्रतिवादीगण के पिता का सन् 2004 में स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार के नाम नामान्तरकरण संख्या 521 भरा जाकर दिनांक 14.06.2004 को ग्राम सभा में स्वीकृत किया गया, उसके बाद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खेत पर थार आँचलिक ग्रामीण बैंक, सोयला से ऋण लेकर बैंक के यहां रहन रखा था जो रहननामा दिनांक 8.9.2004 जिल्द संख्या 132 पृष्ठ संख्या 26 क्रम संख्या 2624/04 पर पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर आज से 60–70 वर्षो पूर्व से भौतिक रूप से कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी मोके पर कब्जा काश्त है। वादी एक धनाढ्य परिवार का सदस्य है तथा स्वयं अधिवक्ता है, मनगढन्त तथ्य बनाकर प्रतिवादीगण का खातेदारी खेत हड़पना चाहता है जबकि कानूनन ऐसा करने का वादी को अधिकार नहीं है। आगे अंकित किया कि वादी ने प्रतिवादीगण को अनावश्यक हैरान परेशान करने के लिए वाद पेश किया है, इसलिए धारा 95 सी पी सी के तहत वादी पर 50,000/–रूपये की कॉस्ट लगाकर वाद को खारिज कर 50,000/–रू.

प्रतिवादी को मुआवजा दिलाया जाना उचित है। इस न्यायालय को खसरा नम्बर 42 के प्रतिवादीगण के दादा व दादी ससुर को नियमन हुए को खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, कब्जे के अभाव में घोषणा का वाद चल नहीं सकता है। अन्त में प्रतिवादीगण ने प्रार्थना की कि वादी का वाद भारी कॉस्ट से खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर वाद स्वीकार कर वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि राजस्व ग्राम धनारी खुर्द में आया हुआ खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 8.02 बीघा के प्रतिवादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में तथा फसल बोने, अवेरने, ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा न ही परिवार के सदस्यों से करवावे, प्रतिवादीगण को काउन्टर वाद का खर्चा व धारा 95 का लाभ देकर कोस्ट दिलाई जावे।

3. प्रतिवादी संख्या–1 से 4 की ओर से पेश जबाब दावा व काउन्टर क्लेम का वादी की ओर से जबाबुल जबाब व काउन्टर क्लेम का जबाब पेश कर जबाबुल जबाब में कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त के समय खसरा नं. 42 रकबा 46 बीघा 8 बिस्वा पड़त कदीम दर्ज था जिस पर सम्वत् 2012 के पूर्व से ही वादी के पिता व दादा का कब्जा काश्त रहा था इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत वादी के पिता भैराराम जी को खसरा नं. 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा में से 8 बीघा की खातेदारी दी गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 12.07.1963 को भरा गया। खसरा नम्बर 42 की शेष भूमि 38 बीघा 7 बिस्वा पर भी कब्जा काश्त वादी के पिता भैराराम का ही रहा जो राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण तथा अस्थाई कृषि सम्बंधी रेकर्ड सम्वत् 2018 से, राजस्व रेकर्ड से साबित है। उक्त कब्जा के आधार पर राज्य सरकार ने खसरा नंबर 42 की शेष 38 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि का नियमन आदेश मिसल संख्या 856/1976 दिनांक 24.10.1977 को वादी के पिता के पक्ष में जारी किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 146 भरा गया जो सम्वत् 2012 से लगान कायम करने के बाद प्रदान किया गया था। इस प्रकार खसरा नम्बर 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा वादी के पिता के एकमात्र खातेदारी का है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक–हिस्सा नहीं है क्योंकि खसरा नंबर 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा का ही है जिसके किसी भाग पर प्रतिवादीगण का न तो कब्जा रहा और न ही कोई कब्जा काश्त है क्योंकि खसरा के चारदीवारी बनी हुई है जिसको प्रतिवादीगण गलत रूप से इन्कार कर रहे हैं व मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने का बेजा फायदा उठाने की नियत से झूठे कथन किये हैं, जबकि मौके पर प्रतिवदीगण का न तो कोई भौतिक कब्जा है, न था। प्रतिवादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 26 के काफी बड़े भूभाग पर अवश्य है जिसको प्रतिवादीगण गलत रूप से अपना तथाकथित कब्जा वादी के खातेदारी के खसरा नम्बर 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा पर बता रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण ने राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से कोई सेवा प्राप्त की है तो उनके साथ धोखाधड़ी कारित की है। न्यायालय हाजा चाहे तो खसरा नम्बर 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा का भौतिक सत्यापन करवा सकती है।

काउन्टर क्लेम के जबाब में अंकित किया कि, मिसल बन्दोबस्त के समय खसरा नम्बर 42 रकबा 46 बीघा 8 बिस्वा पड़त कदीम अवश्य दर्ज था जिस पर सम्वत् 2012 के पूर्व से ही वादी के पिता व दादा का कब्जा काश्त रहा था इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत वादी के पिता भैराराम जी को खसरा नम्बर 42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा में से 8 बीघा की खातेदारी

दी गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 12.07.1963 को भरा गया। खसरा नम्बर 42 की शेष 38 बीघा 8 बिस्वा पर भी कब्जा काश्त वादी के पिता मैराराम का रहा जो राजस्व रेकर्ड, खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण तथा अस्थाई कृषि सम्बंधी रेकर्ड 2018 से राजस्व रेकर्ड से साबित है। इसके आगे भी जबाबुल जबाब के उपरोक्त कथन ही सारभूत रूप से अंकित किये गये तथा कथन किया कि काउन्टर क्लेम पेश करने का प्रतिवादीगण को वाद कारण पैदा नहीं हुआ है, काउन्टर क्लेम पर कोर्टफीस नियमानुसार पेश नहीं की गयी हैं, यह गलत है कि वादी स्वच्छ हाथों से नही आया हैं, वादी का वाद सच्चे एवं दस्तावेजी राजस्व रेकर्ड के आधार पर है इसलिए प्रतिवादीगण किसी प्रकार का विशेष हर्जाना पाने के अधिकारी नहीं है। वादी मौका कमिश्नर नियुक्त करवाने को तैयार है या पटवारी से सीमा ज्ञान के लिए भी तैयार है। वादी ने जिस अनुतोष की वाद में मांग की है उसे न्यायालय प्रदान करने में सक्षम है। खसरा नम्बर 42 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादीगण को नियमन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वादी ने अन्त में प्रार्थना की, कि प्रतिवादीगण के जबाबदावा एवं काउन्टर क्लेम में उठाये उजर को निरस्त फरमाकर वादी का माफिक वाद डिक्री फरमाया जावे।

4. पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गए हैं :—

(1) आया खसरा नम्बर 42/1 व 42/2 कुल रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी की है ? ...वादी

(2) आया खसरा नम्बर 42/1 व 42/2 कुल रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है ? ...वादी

(3) आया वादी खसरा नं0 42/1 व 42/2 कुल रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा की खातेदारी अधिकारों की घोषण का अधिकारी है ? ...वादी

(4) आया खसरा नम्बर 42 में रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण की राजस्व रिकॉर्ड में वादी निरस्त घोषित करवाने का अधिकारी है ? ...वादी

(5) आया वादी वांछित स्थाई निषेधाज्ञा की घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती का अधिकारी है? ...वादी

(6) आया वादी ने कोर्ट फीस कम अदा की है ? ...प्रतिवादीगण

(7) आया वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है ? ....प्रतिवादीगण

(8) आया न्यायालय हाजा को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है ? ....प्रतिवादीगण

(9) आया वादी का वाद कब्जे की घोषणा के अभाव में चलने योग्य नहीं है? ....प्रतिवादीगण

(10) आया प्रतिवादीगण वादी से धारा 95 सी.पी.सी. के तहत रू. 50,000/— कॉस्ट पाने का अधिकारी है ? ....प्रतिवादीगण

(11) आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काबिज है तथा आराजी के खातेदार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है ? ....प्रतिवादीगण

(12) आया वादी, प्रतिवादीगण के दादा व दादी ससुर के नाम नियमन हुआ था इसलिए न्यायालय हाजा को नियमन खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है? ....प्रतिवादीगण

(13) अनुतोष ?

साक्ष्य चरण में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लु 1 वादी शंकर चौधरी, पी.डब्लु 2 प्रेमदास, पी.डब्लु. 3 लक्ष्मीनारायण एवं पी.डब्लु. 4 आनन्दसिंह उर्फ अणदुसिंह के मुख्य परीक्षण हेतु

शपथपत्र पेश कर परीक्षित करवाया। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्लु. 1 सुखाराम का शपथपत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया। दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गए। वादी की ओर से, दस्तावेजी साक्ष्य, प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वंत 1999 वक्त सेटलमेन्ट, प्रदर्श– 2 से 16 में सम्वंत 2018 से 2032 की खसरा परिर्वतनशील की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 17 नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 12.07.1963, प्रदर्श– 18 नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 24.10. 1977, प्रदर्श– 19 नामान्तरकरण संख्या 60, प्रदर्श– 20 नामान्तरकरण संख्या 426, प्रदर्श– 21 श्रीमान अपर जिला न्यायालय फास्ट ट्रेक संख्या 4 द्वारा निर्णय डिक्री, प्रदर्श– 22 नामान्तरकरण संख्या 651, प्रदर्श– 23 नामान्तरकरण संख्या 652, प्रदर्श– 24 मौका कमिश्नर रिपोर्ट, प्रदर्श– 25 ट्रेस नक्शा, प्रदर्श– 26 जमाबन्दी राजस्व रेकड़ खसरा संख्या 42 सम्पूर्ण आराजी रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा वादी के नाम दर्ज, प्रदर्श–27 प्रतिवादी सुखाराम द्वारा माननीय न्यायालय में पेश राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 19, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद, प्रदर्श– 28 प्रतिवादी सुखाराम द्वारा माननीय न्यायालय में पेश राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 19, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व रेकर्ड़ दुरूस्ती हेतु वाद में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश वकालातनामा, को प्रदर्षित करवाया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्लु.–1 सुखाराम का शपथपत्र परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से 9 प्रदर्षित करवाया गया।

वादी ने वाद के अंतिम बहस के पूर्व एक प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत अपने वादपत्र में पद संख्या–10 ए के रूप में वर्णित तथ्य टाईपिंग भूल व सद्भाविक गलती के कारण अंकित नही हो पाया इसलिए संशोधन के जरिये पैरा संख्या–10 के बाद पद संख्या–10 ए के रूप में संशोधन के जरिये जोड़ने का निवेदन किया। जिसका प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर वाद के अंतिम स्तर पर वादी वादपत्र में संशोधन नही करवा सकता है, मगर जवाब प्रार्थना–पत्र के पद संख्या–2 में टाईपिंग भूल को संशोधन के जरिये वादी द्वारा दावा संशोधन किये जाने के तथ्य को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। वादी ने इस प्रार्थना–पत्र के लिये लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

पक्षकारान् की बहस सुनी गई वादी ने अपने प्रार्थना–पत्र के संबंध में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट का न्याय निर्णय 2015 (2) सीसीसी पेज–148 व माननीय आन्ध्रप्रदेश हाईकोर्ट का न्याय निर्णय 2015 (सप्लीमेंट्री) सीसीसी पेज–386 पेश किये, वादी द्वारा पेश उपरोक्त न्याय दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक मनन किया गया। उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों से न्यायालय सहमत है। मगर वाद के तथ्य व परिस्थितियों से उक्त न्याय दृष्टांत भिन्न होने से वादी को कोई सहायता प्रदान नही करते है। अतः वादी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खरिज किया जाता है।

5. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी है एवं पत्रावली का गहनता से परीशीलन किया है।

6. दौराने बहस वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा पूर्व में पड़त भूमि थी। इस संबंध में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड संवत् 1999 की जमाबंदी का उल्लेख किया। जिससे साबित है कि उक्त खसरा की भूमि पूर्व में सरकारी पड़त कदमी भूमि थी तथा वादी के पिता भैरारामजी व वादी के दादा का शेटलमेंट संवत् 2012 से पूर्व ही कब्जा काश्त था। इस संबंध में राजस्व रेकर्ड, खसरा परिवर्तन संवत् 2013 से संवत् 2032 में दर्ज है तथा संवत् 2018 से संवत् 2032 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां पेश की है। इस कारण एकमात्र कब्जा वादी के पिता का होने से धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी के पिता को खसरा नं. –42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि की खातेदारी दी गई थी तथा म्यूटेशन संख्या–8 दिनांक 12–07–1963 को वादी के पिता के नाम भरा गया था। जिसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है। खसरा नं.–42 की शेष भूमि 38 बीघा 7 बिस्वा पर भी लगातार वादी का पिता का संवत् 2012 से लगातार कब्जाकाश्त होने से वर्ष 1977 में उक्त भूमि का वादी के पिता के पक्ष में नियमन किया गया। जिसका आदेश मिसल संख्या–856/1976 दिनांक 24–10–1977 का उल्लेख म्यूटेशन संख्या–146 से साबित है कि वादी के पिता भैराराम जी का खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा पर कब्जाकाश्त था व है। इस संबंध में न्यायालय ने मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका की स्थिति की रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें भी खसरा नं.–42 के संपूर्ण रकबे पर वादी का कब्जा बताया गया हैं। वादी ने यह भी तर्क दिया कि उक्त खसरा की भूमि में से वादी के पिता ने 8 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31–01–1972 को श्रीमती केसरदेवी पुत्री मोतीराम जी जाट को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के संबंध में म्यूटेशन संख्या–60 श्रीमती केसरदेवी के नाम भरा गया, जिसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली में मौजूद है तथा श्रीमती केसरदेवी ने अपने जीवनकाल में उक्त 8 बीघा भूमि की वसीयत अपने पोते सहदेवराम के नाम कर दी तथा श्रीमती केसरदेवी के देहांत के बाद उक्त वसीयत के आधार पर खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि का म्यूटेशन संख्या–426 खसरा नं.–42/1 के रूप में सहदेवराम के नाम भरा गया तथा खसरा नं.–42 शेष 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी के पिता के खातेदारी की रही। वादी ने यह भी तर्क दिया कि वादी ने अपने पिता से संपूर्ण आराजी सहित अन्य जायदाद का बंटवारा का दावा दीवानी न्यायालय श्रीमान् जिला न्यायालय जोधपुर में पेश किया, जो निस्तारण के लिये श्रीमान् अपर जिला न्यायालय(फास्ट ट्रेक)संख्या–4, जोधपुर में अंतरित किया गया था, जिसके मूल दीवानी वाद संख्या–57/2006 शंकर चौधरी बनाम भैराराम व अन्य किया था, जिसमें दिनांक 18–04–2007 को उक्त बंटवारा का वाद राजीनामा डिक्री की गई, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली में मौजूद है। वादी का यह भी तर्क है कि खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी को उसके पिता से बंटवारा में मिली है, जिस पर एकमात्र वादी का कब्जाकाश्त है तथा खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा बंटवारा के अनुसार खसरा नं.–42/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं.–42/1 रकबा 8 बीघा का म्यूटेशन संख्या–651 व 652 वादी के नाम भरा गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली पर मौजूद है। इस

प्रकार संपूर्ण खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा की कृषि भूमि पर वादी कब्जाकाश्त है, जिसके चारों तरफ वादी के भाईयों के खसरों की कृषि भूमि से घिरा हुआ है। वादी का यह भी तर्क रहा कि वादी दिनांक 03–09–2009 को जब हलका पटवारी के पास अपने खातेदारी रेकर्ड के बाबत जानकारी हासिल करने गया तब, हलका पटवारी ने बताया कि खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या–1 से 4 के पिता सुखाराम, पप्पुराम व नैनाराम पुत्र स्वरूपराम एवं श्रीमती कानीदेवा स्वरूपराम जाति–जाट, निवासी–धनारीखुर्द के नाम दर्ज है। यह सुनकर वादी को बड़ा ताज्जुब हुआ। जबकि वर्तमान में भी उक्त खसरान् की संपूर्ण भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त है। जबकि राजस्व रेकर्ड में गलती से प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है। जबकि खसरा नं.–42 के संपूर्ण कृषि भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त है। जबकि खसरा नं.–42 की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शा में भी अलग से दर्शायी हुई नही है। जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हुआ है। इसलिए इसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है और अंत में वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी ने अपने कथनों व बहस के समर्थन में निम्नांकित न्याय दृष्टांत पेश किये।

1. आरआरडी 1989 पेज–147 मल्खियतसिंह बनाम राज. राज्य
2. आरआरडी 2002 पेज–336 बोगड़सिंह बनाम राज.राज्य व अन्य
3. 1988 सीसीसी पेज–54 (पंजाब एण्ड हरियाणा)

वादी द्वारा पेश उपरोक्त न्याय दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक मनन किया गया। उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों से न्यायालय सहमत है। जिसका अनुशीलन किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावा व काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई न्याय दृष्टांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया कि राजस्व ग्राम धनारीखुर्द में खेत खसरा नं.–42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सुखाराम व सुखाराम के भाई व माता के नाम की खातेदारी कब्जाकाश्त की आई हुई है। जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी के दादा जगराम के नाम नियमन हुई थी और दादा के समय से चली आ रही है तथा कब्जा के आधार पर प्रतिवादी के परिवार की तरफ से कृषि ऋण भी लिया था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि वादी शंकर चौधरी व शंकर चौधरी का परिवार पढ़ा–लिखा सक्षम परिवार है, जो प्रतिवादी के कब्जाकाश्त भूमि को हड़प करने के लिये झूंठा दावा पेश किया है, जो दावा भारी हर्जे–खर्चे से खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी के सहखातेदारी के खसरा नं.–42 के उपयोग व उपभोग व कब्जाकाश्त में किसी प्रकार दखलदांजी नही करने का अनुतोष भी चाहा तथा इस संबंध में दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाये। मगर प्रतिवादीगण ने अपने संपूर्ण जवाबदावा में वर्णित तथ्यों के बाबत मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र पेश नही किया है।

8. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्को का विरोध करते हुए वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम का खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा

के किसी भू–भाग पर कभी भी भौतिक कब्जा नही रहा हैं और न ही वर्तमान में प्रतिवादीगण का भौतिक कब्जा है, जो कि रेकर्ड दस्तावेजों व मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी प्रमाणित होता हैं। प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम का कब्जाकाश्त ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नं.–26 व खसरा नं.–17 की भूमियों पर रहा हैं और वर्तमान में भी उनके वारिसान का भौतिक कब्जा इन खसरों पर है। जिसका उल्लेख प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा किये गये राजस्व वाद नं. 25/2013 में भी किया हैं, जो वाद इसी न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि वादी ने अपने प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम का जवाब व रिजोइण्डर में प्रतिवादीगण का कब्जा खसरा नं.–26 में होने का उल्लेख किया है, जबकि प्रतिवादीगण ने ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नं.–17 में 8 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा किये गये राजस्व वाद नं. 25/2013 की प्रमाणित प्रतिलिपी व मूल वाद की पत्रावली को तलब करवाकर इस वाद के साथ संलग्न करवायी तथा प्रतिवादीगण के इस वाद को प्रदर्श–27 के रूप में प्रदर्शित करवाया, जिसमें प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि गलती से राजस्व रेकर्ड में उसके कब्जा की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि खसरा नं.–17 के बजाय उक्त खसरा नं.–42 में दर्ज हो गई है, जो प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का दावा किया है। जिससे स्पष्ट साबित है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम का खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा के किसी भू–भाग पर कब्जाकाश्त नही रहा है।

9. उभाय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया है, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त विवाधकों पर साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है–

विवाधक संख्या–1, 2 व 3

10. उपरोक्त तीनों विवाधक परस्पर एक–दुसरे से संबंधित होने व उनसे संबंधित अभिवचनों व साक्ष्य में समानता होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। उक्त विवाधकों को साबित करने का भार वादी पर है। वादी का यह कथन रहा कि खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि पहले सरकारी पड़त कदमी भूमि थी, जिसका राजस्व रेकर्ड प्रदर्श–1 जमाबंदी भी वादी ने प्रदर्शित करवायी है, जिसपर वादी के पिता भैराराम व दादा का संवत् 2012 से पूर्व कब्जाकाश्त रहा है। जिसके आधार पर वादी के पिता भैरारामजी को उक्त खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा में 8 बीघा भूमि का नियमन राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण प्रदर्श–2 से 16 के आधार पर जरिये म्यूटेशन संख्या–8 दिनांक 12–07–1963 के जरिये वादी के पिता के नाम नियमन की गई तथा शेष 38 बीघा 7 बिस्वा पर भी लगातार संवत् 2012 से पहले से ही वादी के पिता व दादा का कब्जाकाश्त होने से खसरा नं.–42 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा की भूमि का नियमन जरिये मिसल संख्या–856/76 दिनांक 24–10–1977 को किया गया तथा म्यूटेशन संख्या–146 वादी के पिता भैराराम के नाम भरा गया तथा बंटवारा में वादी को खसरा नं.–42/1 रकबा 8 बीघा व खसरा नं.–42/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि बंट में मिली है तथा बाद बंट वादी के पक्ष में उक्त बंटवारा के आधार पर उपरोक्त खसरा नं.–42/1 व खसरा नं.–42/2 की कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या–651 व 652 के जरिये वादी का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार

खसरा नं.–42 की रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त है। जो दस्तोवजी साक्ष्य प्रदर्श–2 से 26 राजस्व रेकर्ड से साबित है, जिसको वादी पी.डब्ल्यू–1 वादी ने पूर्णरूप से साबित किया है कि खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा की संपूर्ण भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी वादी का कब्जाकाश्त होना पूर्णरूप से साबित है। इस प्रकार न्यायालय के मत में वादी ने खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा पर अपना कब्जाकाश्त होना साबित किया है, जिसका खण्ड़न प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह में नही किया गया है और न ही इस बाबत वादी से कोई जिरह ही की है। इसके अलावा वादी के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–2 प्रेमदास, पी.डब्ल्यू–3 लक्ष्मीनारायण व पी.डब्ल्यू–4 आनन्दसिंह ने वादी के वाद में वर्णित तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है तथा खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा पर वादी का कब्जा होना बताया है, जिसका भी खण्ड़न प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है और न ही इस संबंध में वादी के उक्त गवाहों से किसी प्रकार की जिरह प्रतिवादीगण की तरफ से की गई है। इस प्रकार वादी ने अपना केस पूर्णरूप से साबित किया है। इसके विपरित प्रतिवादी संख्या–1 डी.डब्ल्यू–1 सुखाराम ने जिरह में यह स्वीकार किया है उसने प्रदर्श–27, राजस्व दावा किया है, जिसमें उसने खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा के किसी भू–भाग पर अपना कब्जा नहीं होना स्वीकार किया है। इसमें यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नं.–42 में प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम का नियमन नही किया गया था, बल्कि खसरा नं.–17 की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया था मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण खसरा नं.–42 में नियमन दर्ज हो गया है जबकि जगरामजी का आज भी खसरा नं.–17 में 8 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जाकाश्त है तथा इस दावा के जरिये प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम का खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा में मिसल संख्या–787/77 दिनांक 24–10–1977 को निरस्त कर उसे दुरुस्त कर खसरा नं.–17 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का नियमन चाहा है। यहां यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण डी.डब्ल्यू–1 ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नं.–42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के संबंध में संवत् 2012 के पूर्व या उसके बाद के कोई राजस्व रेकर्ड पेश नही किया है और न ही उसे प्रदर्शित करवाया है। मगर प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में प्रदर्श–1 से 9 दस्तावेज पेश किये, जो सारे दस्तावेज नवीनतम है। डी.डब्ल्यू–1 ने जिरह में खसरा नं.–42 की रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का नियमन प्रतिवादी के पूर्वज जगराम के पक्ष में जमाबंदी व म्यूटेशन प्रदर्शित किये है, मगर उक्त इन्द्राज के संबंध में कोई राजस्व रेकर्ड, खसरा परिवर्तन इत्यादि पेश नही करना बताया है। इस प्रकार खसरा नं.–42 की रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि का नियमन किस आधार पर किया गया अस्पष्ट है। उपरोक्त स्थिति से यह मालूम होता है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम के पक्ष में जमाबंदी व म्यूटेशन में इन्द्राज बिना किसी आधार के राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया जाना साबित है, जो इन्द्राज जगराम के पक्ष में गलत किया गया है। न्यायालय के मत में जगराम के नाम खसरा नं.–42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन गलत किया है, जबकि उसका वास्तविक कब्जा खसरा नं.–17 की रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर है, जिसको प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है, हालांकि जिरह में प्रतिवादी डी.डब्ल्यू–1 ने यह कहने का प्रयास किया कि उक्त दावा प्रदर्श–27, मैंने वादी शंकर जी के कहने से किया है। यह भी स्वीकार किया है कि इस बाबत कोई उल्लेख प्रदर्श–27 दावा में नही है।

जिरह में आगे डी.डब्ल्यू–1 ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श–27 दावा में लिखी सारी बातें सही है। इस प्रकार वादी ने खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा की भूमि पर अपना कब्जाकाश्त होना मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य से साबित किया है, तथा वादी खसरा नं.–42/1 रकबा 8 बीघा तथा खसरा नं.–42/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादी के कब्जा व खातेदारी की होना साबित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाधक संख्या–1, 2 व 3 वादी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहें है। अतः उक्त विवाधक संख्या–1, 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

<u>विवाधक संख्या–6, 7 व 8</u>

11. उपरोक्त तीनों विवाधक कानूनी होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। उक्त विवाधकों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा वाद के लिये कम कोर्टफीस अदा करने का अपने जवाबदावा में मात्र अभिकथन किया है मगर इस संबंध में प्रतिवादीगण ने न तो अपने जवाबदावा में न ही अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में इस संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत किये है कि, किस आधार पर वादी द्वारा कम कोर्टफीस अदा करना आक्षेपित है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से बहस के दौरान भी कोई तर्क या विधि के प्रावधान प्रस्तुत नही किये है। प्रतिवादीगण ने बहस में यह भी नही बताया है कि वादी का वर्तमान वाद विधि द्वारा किस प्रकार से वर्जित और वादी के वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय को नही है, इसके बाबत अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से कोई बहस नही की गई और न ही इस संबध में कोई विधि सिद्धांत ही पेश किये है। जहां तक प्रतिवादीगण के पूर्वज जगराम के पक्ष में खसरा नं.–42 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के नियमन को निरस्त करने का प्रश्न है, तो न्यायालय को इस संबंध में क्षैत्राधिकार नही है। मगर न्यायालय को यह तय करने का पूर्ण विधिक क्षैत्राधिकार हासिल है कि वादी व वादी के पिता के पक्ष में खसरा नं.–42 रकबा 8 बीघा के नियमन व राजस्व रेकर्ड व कब्जा के अनुसार कब्जा की घोषणा करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय को अवश्य हासिल है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाधक संख्या–6, 7 व 8 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहें है। अतः विवाधक संख्या–6, 7 व 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

<u>विवाधक संख्या–9</u>

12. उपरोक्त विवाधक संख्या–9 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में इस बाबत अभिवचन किये है, इसलिए इस बाबत विवाधक भी कायम किया है। प्रतिवादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू–1 वादी से की गई जिरह में वादी ने यह कथन किया है कि खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादी व वादी के पिता का संवत् 2012 के पूर्व से लगातार कब्जाकाश्त रहा है तथा वर्तमान में वादी का उक्त आराजी पर कब्जाकाश्त है। इस संबंध में वादी ने संवत् 2018 से लगातार राजस्व रेकर्ड, खसरा परिवर्तन पेश किये है तथा न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी मौके पर वादी का कब्जा पाया गया है तथा जिरह में पी.डब्ल्यू–1 वादी की जिरह में प्रतिवादीगण के प्रश्न के जवाब में वादी ने कथन

किया है कि उपरोक्त जमीन के 8 बीघा 2 बिस्वा रकबा पर प्रतिवादीगण सुखाराम व उसके पूर्वज का कभी भी किसी भी स्थिति मे कब्जा/अतिक्रमण नही रहा था। प्रतिवादीगण का भौतिक रूप से कब्जा खसरा नं.–26 व 17 में रहा था। पी.डब्ल्यू–1 वादी ने जिरह में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के सुझाव के उत्तर में कहा कि "यह कथन गलत है कि विवादग्रस्त भूमि के किसी रकबे पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त रहा हो।" उपरोक्त विवेचन के आधार पर खसरा नं.–42 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि पर राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी व म्यूटेशन तथा संवत् 2018 से लगातार वादी व वादी के पिता व वादी के दादा का कब्जा साबित है। इसलिए विवाधक संख्या–9 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहे है। उपर विवाधक संख्या–1, 2, 3 में किये गये विवेचन के आधार पर वादी वाद में वांछित स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा करवाने का अधिकारी होना पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहें है। इसलिए विवाधक संख्या–9 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाधक संख्या–4, 5, 11 व 12</u>

13. उपरोक्त चारों विवाधक परस्पर एक–दुसरे से संबंधित होने व उनसे संबंधित अभिवचनों व साक्ष्य में समानता होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। विवाधक सं.–4 व 5 को साबित करने का भार वादी पर है तथा विवाधक संख्या–11 व 12 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जहां तक रेकर्ड दुरुस्ती का संबंध है, इस संबंध में वादी की तरफ से पेश न्याय दृष्टांत *आरआरडी 1989 पेज–147, मल्खियतसिंह बनाम राजस्थान राज्य* व *आरआरडी 2002 पेज–336, बोगड़सिंह बनाम राजस्थान राज्य* व अन्य, के विवेचन से स्पष्ट हैं कि न्यायालय को रेकर्ड दुरुस्त करने का क्षैत्राधिकार हासिल है, परन्तु न्यायालय को नियमन निरस्त करने का क्षैत्राधिकार हासिल नहीं है। न्यायालय को वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा के संबंध में सुनवाई करने व अनुतोष प्रदान करने का भी क्षैत्राधिकार हासिल है। जहां तक वादी के पक्ष में चाहा गया अनुतोष का संबंध है उस अनुतोष के बाबत राजस्व वाद की अन्वीक्षा करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय को हासिल है। इस संबंध में वादी के पास कानूनी उपचार उपलब्ध है। अतः कब्जा व जमाबंदी म्यूटेशन के आधार पर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा का अनुतोष दिया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाधक संख्या–4 वादी के विरूद्ध तथा वादी विवाधक संख्या–5 को आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा हैं, तथा विवाधक संख्या–11 प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करनें में पूर्णरूप से असफल रहें है। इस प्रकार विवाधक संख्या–4 वादी के विरूद्ध तथा विवाधक संख्या–5 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय_किया जाता है तथा विवाधक संख्या–11 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा विवाधक संख्या–12 को प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरूद्ध तय किया जाता है। इसलिए वादी स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का अधिकारी है एवमं वादी का रेकर्ड दुरुस्ती का अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

विवाधक संख्या–10

14. उपरोक्त विवाधक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। परन्तु वादी विवाधक संख्या–1 से 3 अपने पक्ष में साबित कर प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हुए है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण, वादी से, किसी प्रकार से प्रतिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही रहते है। अतः उक्त विवाधक भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोषः–

15. चूंकि वादी ने विवाधक संख्या–1 से लगायत 3 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहें है तथा प्रतिवादीगण विवाधक संख्या–6, 7, 8, 9 व 11 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहें है तथा विवाधक संख्या–6, 7, 8, 9 व 11 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किये जाने से, वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि ग्राम धनारी खुर्द तहसील बावड़ी के खसरा नं. 42/1 रकबा 8 बीघा व खसरा नं.42/2 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा वादी के खातेदारी व कब्जा की घोषित की जाती है एवमं राजस्व रेकर्ड को इसी अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी को उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाति हैं कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि ख0नं0 42/1 रकबा 8 बीघा एवं ख0नं0 42/2 रकबा 38.07 बीघा भूमि में किसी प्रकार की प्रतिवादीगण दखलंदाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावें । इसी अनुरूप डिकी पर्चा जारी हो ।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बावड़ी जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बावड़ी जिला जोधपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D')

~~सहायक कलेक्टर~~ ~~एवं~~ उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी श्री हेमाराम चौहान RAS

श्री शंकर चौधरी पुत्र श्री जेसाराम जाति जाट निवासी खनारीखुर्द तहसील बावड़ी (जोधपुर) बनाम छुगाराम वगैरा

बाबत घोषणा, दुरुस्ती रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 141/2009 सन्

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल मरे रूबरू मेरे

रामेश्वर हेड़ाऊ निम्नलिखित मुद्दई व रामप्रकाश चौधरी

निम्नलिखित मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम खनारीखुर्द तहसील बावड़ी के खसरा नम्बर 52/1 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 52/2 रकबा 38.07 बीघा वादी के खातेदारी व कब्जा की घोषित की जाती है एवं राजस्व रेकर्ड को इसी अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार बावड़ी को रेकर्डानुसार आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। स्थायी निषेधाज्ञा बावत -X-

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-08-2019

दस्तखत — (हेमाराम चौहान) RAS
ओहदा — सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

तफ़सील	रु.	मुद्दायलाह
		स्टाम्प बराए दावा
		स्टाम्प अर्जी
		मुख्तारनामा वकील पर
		खर्चा गवाहान
		फीस कमिश्नर
		तालिब इजराय हुक्मनामा
		मुतफर्रिक

(कृ.प्र.उ.)

4. वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि ख०न० 42/1 रकबा 8 बीघा एवं ख०नं० 42/2 रकबा 38.07 बीघा भूमि मे किसी प्रकार की प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नही करे एवं न किसी अन्य से करावें।

(हेतराम चौहान)
RAS
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर